रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2019/वैशाख 9, 1941
No. 278] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2019/VAISAKHA 9, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 335(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत यथापेक्षित वाणिज्यिक अंडे के उत्पादन के लिए अंडे देने वाली मुर्गियों के परम्परागत आश्रय घेरों के लिए स्थान उपलब्ध कराने संबंधी प्रारूप नियम, 2019 एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसका उद्देश्य उक्त प्रारूप नियमों से प्रभावित होने वाले सभी संभावित लोगों से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले उन नियमों के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करना है;

यदि कोई आपत्तियां और सुझाव हों, तो उन्हें उप-सचिव (पशु कल्याण), भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किया जाए;

निर्धारित अवधि के भीतर आम जनता से प्राप्त सभी आपत्तियों/सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित रूप से विचार किया जाएगा;

भारत विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई), जो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अंतर्गत एक अंतर-शासकीय निकाय तथा मानक निर्धारक निकाय है, का एक सदस्य देश है। ओआईई पशु कल्याण के लिए भी मानक निर्धारित करता है।

अत: अब केन्द्रीय सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 11 की उप-धारा (1)(ड.) के साथ पठित धारा 38 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (i) इन नियमों को पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (अंडे देने वाली मुर्गियों) नियम, 2019 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. उद्देश्य - इन नियमों के अंतर्गत गैलस गैलस डोमेस्टिकस प्रजातियों की वाणिज्यिक चूजों या मुर्गियों के लिए अंडे के उत्पादन हेतु परम्परागत आश्रय घेरों, जिन्हें पहले बैटरी पिंजरों के रूप में उल्लिखित किया गया था, में रखी गई अंडे देने वाली मुर्गियों और चूजों के लिए स्थान की अपेक्षा को स्पष्ट करने हेतु उनके लिए स्थान उपलब्ध कराने का समाधान किया गया है।

3. परिभाषाएं – इन नियमों में, यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो, -

i. 'अधिनियम' से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;

ii. 'परम्परागत आश्रय घेरों', (जिन्हें पूर्व में बैटरी पिंजरों के रूप में उल्लिखित किया गया था) से ऐसा घिरा हुआ क्षेत्र अभिप्रेत है जिसका विस्तार अलग-अलग हो सकता है तथा जिसमें अंडे देने वाली मुर्गियों और चूजों की संख्या न्यूनतम अपेक्षित स्थान के अनुरूप होगी ताकि उनके प्रति क्रूरता का निवारण हो सके।

iii. 'पर्यावरणीय स्थिति' से अभिप्रेत उस स्थान से है जहां मुर्गी पालन किया जा रहा है।

iv. 'फार्म' से अभिप्रेत उस भूमि, भवन, सहायक सुविधाओं और अन्य उपकरणों से है, जिन्हें अंडों के उत्पादन हेतु मुर्गी पालन में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से उपयोग में लाये जाते हैं, फार्म परिसर पंजीकरण प्रयोजनार्थ के लिए सन्निहित प्रकृति के होने चाहिए।

v. 'फार्म का स्वामी' अथवा 'फार्म संचालक' से अभिप्रेत किसी व्यक्ति (यों) अथवा कंपनियों अथवा व्यवसायियों अथवा कृषि संगठनों अथवा समितियों से है जो फार्म के स्वामी हैं अथवा उसके संचालन को नियंत्रित करते हैं और इनमें व्यक्ति (व्यक्तियों) और कोई अन्य व्यक्ति शामिल है जिनके ओर से फार्म संचालित किया जा रहा है।

vi. 'अंडे देने वाली मुर्गियों' से अभिप्रेत मानव उपभोग और अन्य उपयोग हेतु अंडों के वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए रखी गई गैलस गैलस डोमेस्टीकस प्रजाति की यौन परिपक्व मादा पक्षियों से है।

vii. 'लेयर पुलेट्स' (पुलेट्स) से अभिप्रेत अंडे सेने से यौन परिपक्वता होने तक वाणिज्यिक रूप से लेयर उत्पादन प्रयोजनों के लिए संवर्धन की गई गैलस गैलस डोमेस्टीकम प्रजाति की मादा पक्षियों से है।

viii. 'पंजीकरणकर्ता प्राधिकरण' से अभिप्रेत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के पशु पालन विभाग से है जहां मुर्गी पालन फार्म स्थापित किया गया है।

ix. "पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण हेतु समिति (एसपीसीए)" से अभिप्रेत पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण के लिए समितियों की स्थापना और विनियमन) नियमावली, 2001 के नियम 2 के खण्ड (ड.) में यथापरिभाषित समिति से है (26 मार्च, 2001 के का.आ. 271(ड.) द्वारा अधिसूचित) ।

x. "राज्य बोर्ड" से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित किए गए राज्य पशु कल्याण बोर्ड से है।

xi. "पशु चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्रेत भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 2 के खंड (छ) में यथा पारिभाषित पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी से है।

xii. 'ओआईई'- विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई), 181 सदस्य देशों सहित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिन्होंने विश्व भर में पशु-स्वास्थ्य में सुधार करने और कल्याण करने के लिए इसे अधिदेश दिया है।

4. नियमों की अनुप्रयोज्यता-ये नियम उन फार्मों पर लागू होंगे, जहां कॉलोनी के बाड़ों में अंड़े देने वाली मुर्गियों को रखा जाता है।

5. **फार्मों का पंजीकरण -**

i. संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के पंजीकरणकर्ता प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रति फार्म मुर्गियों और/अथवा चूजों की ऐसी संख्या रख रहे फार्मों का स्वामित्व रखने वाले अथवा फार्मों का प्रभार रख रहे व्यक्ति अथवा हस्तियां, संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के पशु पालन विभाग से अपने फार्मों को पंजीकृत कराने के लिए आवेदन करेंगे।

ii. राज्य का पशु पालन विभाग पंजीकरण की स्वीकृति देते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित करेगा जो वह अन्य वर्तमान स्थानीय कानूनों के अनुसार उचित समझें।

iii. पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र में फ़ार्म की रूपरेखा, पशु पालन, डेरी उद्योग और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विहित जैव-सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं और अन्य संबद्ध सूचना (जो नियमाधीन अपेक्षित हों) शामिल होंगी।

iv. पंजीकरण प्राधिकरण, अहातों के नियमानुसार होने के संबंध में उसका समाधान हो जाने पर फ़ार्म का पंजीकरण करेगा और एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

v. पंजीकरण प्रमाण-पत्र इसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। फ़ार्म का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति वर्तमान-प्रमाण-पत्र के समाप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एक आवेदन पत्र के माध्यम से पंजीकरण प्राधिकरण को आवेदन करके इस प्रमाण-पत्र का समय-समय पर नवीकरण करा सकेगा।

vi. प्रत्येक फ़ार्म जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले ही प्रचालन में है इनके प्रारंभ की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर स्वयं को संबंधित राज्य के पशु पालन विभाग में पंजीकृत कराएगा।

vii. पंजीकरण प्रमाण-पत्र को फ़ार्म में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

6. मुर्गी पालन फ़ार्म के स्वामी या फ़ार्म प्रचालक का उत्तर दायित्व .-

(i) फ़ार्म/कंपनी/सोसाइटी/संगठन का स्वामी/प्रचालक/सर्वोच्च अधिकारी अंडा देने वाली मुर्गियों के कल्याण के लिए निर्धारित पर्यावरणीय शर्तों के अनुसार इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) यदि संविदाकार तथा किसानों के बीच कोई ऐसी संविदा है जिसके तहत मुर्गी पालन फ़ार्म हेतु, फ़ार्म के स्वामी के लिए निवेश संविदाकार द्वारा किया जाना है तो फ़ार्म का स्वामी और संविदाकार दोनों ही इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(iii) यदि फ़ार्म पर सरकार का स्वामित्व है तो इन नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रधान का होगा।

7. निरीक्षण का प्राधिकार दिए जाने की शक्ति.- राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का पशु पालन विभाग या पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण हेतु बोर्ड/राज्य बोर्ड/जिला सोसाएटी (एसपीसीए) अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्तर के अधिकारियों को किसी फ़ार्म का निरीक्षण करने और ऐसे निरीक्षण के निष्कर्षों की एक रिपोर्ट पंजीकरण प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और उपयुक्त स्तर के अधिकारी-

(i) किसी उपयुक्त समय पर फ़ार्म में प्रवेश कर सकते हैं और फ़ार्म का निरीक्षण कर सकते हैं; किसी व्यक्ति से पंजीकृत फ़ार्म के संबंध में उसके द्वारा रखे गए फ़ार्म रूपरेखा रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने की मांग कर सकते हैं।

(ii) निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकारी अधिकारी यथा विनिर्दिष्ट जैव-सुरक्षा प्रोटोकोलों और नियमों का पालन करेगा।

(iii) कोई भी निरीक्षक, संक्रमण का निवारण करने के लिए जैव-सुरक्षा सरोकारों के तहत किसी फ़ार्म का निरीक्षण, बहत्तर घंटे की अवधि के भीतर एक से अधिक बार नहीं करेगा। जैव सुरक्षा प्रोटोकोलों को सुनिश्चित करने के लिए उसे अपने सभी निरीक्षणों का रिकॉर्ड रखना चाहिए।

8. अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए स्थान प्रबंधन

सभी नए फ़ार्मों या पुराने पिंजरों के प्रतिस्थापन के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्टताओं को पूरा किया जाना चाहिए :-

प्रत्येक पक्षी के लिए फर्श का स्थान पांच सौ पचास वर्ग सेंटीमीटर से कम नहीं होगा और प्रत्येक पिंजरें में प्राधिमानत: कम से कम 6 से 8 पक्षी रखे जाने चाहिए और इस प्रकार अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए अंडे देने, खड़े होने, पंख फड़-फड़ाने, आसपास घूमने और चारे तथा पानी तक पहुंचने के लिए उचित स्थान को सुनिश्चित किया जाएगा।

9. स्थान उपलब्धता के रिकॉर्डों का रखा जाना :

(i) फ़ार्म का स्वामी या प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकतम आवासन घनत्व सीमा से अधिक न हो और मुर्गियों के लिए उपलब्ध कुल फर्श क्षेत्र; स्थान उपलब्धता; और आवास के भीतर रखे जाने वाले पक्षियों की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड रखेगा।

(ii) फ़ार्म का स्वामी या प्रचालक उपलब्ध पक्षियों की संख्या, दैनिक मौतों और मारे गए पक्षियों की संख्या का रिकॉर्ड रखेगा।

(iii) ये रिकॉर्ड विहित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराये जाएंगे।

10. चारे के संबंध में प्रतिषेध :

(i) मुर्गियों को मरे हुए चूजों के अवशेषों का चारा देना प्रतिषेधित होगा।

(ii) विकास को बढाने वाली दवाओं का प्रयोग प्रतिषेधित होगा।

(iii) एंटी-बायोटिक दवाओं को चिकित्सीय प्रयोजनों (रोग के उपचार) के लिए और किसी पशु चिकित्सक के पर्यवेक्षण के अधीन ही दिया जाएगा।

(iv) रोआँ गिराने के लिए चारा न दिया जाना प्रतिषेधित होगा।

11. चिकित्सीय देखभाल.—फ़ार्म का स्वामी या प्रचालक आवासन के दौरान और आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की स्थिति में पर्याप्त प्रबंधन और चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त जनशक्ति, जिसमें पंजीकृत पशु चिकित्सक शामिल है, को नियोजित करेगा। आपात स्थिति में पशु चिकित्सक से संपर्क के लिए संपर्क ब्यौरे किसी सहज-दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किए जाने चाहिएं।

12. नर चूजों की सुख मृत्यु.—अंडज उत्पत्तिशाला (हैचरी) नर चूजों की सुख मृत्यु के लिए ओआईई के दिशानिर्देशों में विहित किसी क्रियाविधि का उपयोग करेगा।

13. प्रजनन अशक्त मुर्गियों का विक्रय : फ़ार्म, प्रजनन अशक्त मुर्गियों को विशेष रूप से लाइसेंस धारक बूचड़खानों या किसी पंजीकृत व्यापारी को बेचेगा तथा प्रजनन अशक्त मुर्गियों को लाना, ले जाना और उनका वध लागू नियमों के अनुसार होगा।

14. पंजीकरण रद्द करना : यदि किसी मुर्गी पालन फ़ार्म का रखरखाव, इन नियमों के तहत आवश्यक तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो पंजीकरण प्राधिकारी लिखित में कारण बताओ नोटिस देने के बाद और तीस दिनों की अवधि के भीतर व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का अवसर देते हुए, पंजीकरण का प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है।

15. पंजीकरण का निरसन : यदि फ़ार्म, निरीक्षण के दौरान पाईं गई कमियों का एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर अनुपालन करता है तो पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण को रद्द न करने पर विचार किया जाएगा।

16. अपील : इन नियमों के तहत, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को किसी फ़ार्म के पंजीकरण से इनकार करने या रद्द करने के किसी आदेश पर अपील की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करेगी।

17. शास्तियां : यदि कोई फ़ार्म का स्वामी या फ़ार्म का प्रभारी, नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत यथा निर्धारित जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। उल्लंघन एक इकाई द्वारा किए जाने पर प्रभारी व्यक्ति को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके अनुसार उसे दंडित किया जाएगा।

18. प्रवर्तन समय :

(i) राज्य सरकारें इन नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रावधानों को 31 दिसंबर, 2019 तक अधिसूचित करेंगी। राज्य इसे तुरंत संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित करेंगे।

(ii) मौजूदा फार्म, 01 जनवरी, 2025 से पहले नए पशु कल्याण दिशानिर्देशों में बदले जाएंगे।

(iii) ये नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के बाद 01 जनवरी, 2020 को लागू होंगे।

[फा. सं. आर-99014/13/2019-ए.एन.एल.एम-डीएडीएफ]

ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2019

G.S.R. 335(E).—Whereas a draft of the Space allowance for conventional colony enclosures of egg-laying hens for commercial egg production, 2019 is hereby published, as required under sub-section (1) of section 11 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), for inviting objections and suggestions on the said draft rules from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

The objections and suggestions, if any, may be sent to the Deputy Secretary (Animal Welfare) to the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

All objections/suggestions received from the public within the specified period shall be duly considered by the Central Government;

India is a member country of World Organization for Animal Health (OIE), an inter-governmental body and standard setting body under World Trade Organization (WTO). OIE also prescribes standards for animal welfare.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 38 read with sub-section (1) (e) of Section 11 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.-(i) These rules may be called the **Prevention of Cruelty to Animals (Egg Laying Hens) Rules, 2019.**

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objectives.-These Rules address space allowance for commercial pullets or hens of species *Gallus gallus domesticus* to clarify space requirement of laying hens and pullets kept in conventional colony enclosures, previously referred to as battery cages, for egg production.

3. **Definitions** - In these rules, unless the context otherwise requires, -

i. 'Act' means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);

ii. 'Conventional colony enclosures'(previously referred to as battery cages) means a confined area which can have varying dimensions and number of laying hens and pullets conforming to minimum space required so as not to inflict cruelty.

iii. 'Environmental condition' means the location where poultry farming is taking place.

iv. 'Farm' means the land, building, support facilities, and other equipment that are wholly or partially used in poultry farming for the production of eggs; the farm premises should be contiguous in nature for registration purpose.

v. 'Farm owner' or 'farm operator' means any person(s) or companies or entrepreneurs or farmers organisations or societies who own(s) or controls the operation of a farm and includes individual(s) and any other person on whose behalf the farm is being run.

vi. 'Laying hens' (hens) means sexually mature female birds of the species *Gallus gallus domesticus* kept for the commercial production of eggs for human consumption and other usage.

vii. 'Layer pullets' (pullets) means female birds of the species *Gallus gallus domesticus* raised for commercial layer production purposes from hatch until the onset of sexual maturity.

viii. 'Registering Authority' means Animal Husbandry Department of the State and Union Territories where the poultry farm is established.

ix. "Society for Prevention of Cruelty to Animals(SPCA)" means the Society as defined in clause (e) of rule 2 of the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001 (notified vide S.O. 271(E) dated 26th March, 2001).

x. "State Board" means a State Animal Welfare Board constituted in a state by the state government.

xi. "Veterinary practitioner" means a registered veterinary practitioner as defined in clause (g) of section 2 of the Indian Veterinary Council Act 1984 (52 of 1984).

xii. "OIE" – World Organisation for Animal Health (OIE) is an international organisation with 181 member countries, which have given it a mandate to improve animal health and welfare throughout the world.

4. **Application of rules**- These rules shall apply to the farms where egg laying hens are housed in colony enclosures.

5. **Registration of farms**-

i. Persons or entities owning or having charge of farms keeping such number of hens and/or pullets per farm as may be specified by the Registering Authority of the concerned State or Union Territories shall apply to get their farms registered with the Animal Husbandry Department of the concerned State Governments/ Union Territories.

ii. The Animal Husbandry Department of the State shall, while granting registration, impose such conditions as it may deem fit as per other extant local laws.

iii. The application for Registration shall include the farm layout, bio-security arrangement as prescribed from time to time by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Farmers' Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare and other relevant information (required under the rules).

iv. The Registering Authority, if satisfied that the enclosures are as per the Rules, shall register the farms and issue a certificate of registration.

v. The certificate of registration will be valid for five years from the date of its issuance. The certificate may be renewed from time to time through an application made by the person owning or in charge of the farm to the registering authority, within three months from the date of expiry of the existing certificate of registration.

vi. Every farm operating prior to the commencement of these rules shall, within a period of three months from the date of its commencement, register itself with the Animal Husbandry Department of the concerned State.

vii. The registration certificate shall be displayed in a conspicuous place at the farm.

6. **Responsibility of poultry farm owner or farm operator**.-

i. The owner/operator/Highest Ranking official of farm/company/society/organization shall be responsible for ensuring the compliance of these rules as per the given environmental conditions for the welfare of layer hens.

ii. In case of contract farming between contractor and farmers, where inputs for poultry farming are provided to the farm owner by the contractor, both the farm owner and the contractor shall be responsible for ensuring compliance of these rules.

iii. Where a farm is owned by a government, the responsibility of compliance of these rules shall be on the Head of the institution.

7. **Power to authorise inspection**- For the purposes of ensuring compliance, the Animal Husbandry Department of the State or Union Territories or the Board/State Board/District Society for Prevention of Cruelty to Animals (SPCAs) may authorize officials of appropriate level to inspect any farm, and submit a report containing the findings of such inspection to the registration authority, and officials of appropriate level may –

i. enter at any reasonable time and inspect the farm; and require any person to produce farm layout records kept by him in respect of the registered farm.

ii. during the inspection, the inspecting official must follow biosecurity protocols and norms as specified.;

iii. no inspector shall visit more than one farm within a period of seventy two hours for biosecurity concerns to prevent the spread of infection. He should keep the record for all of his visits to ensure biosecurity protocols.

8. Space allowance for laying hens:

All new farms or replacement of old cages must meet following specification:

Floor space per bird shall not be less than 550 square centimeter and each cage should accommodate preferably a minimum of 6-8 birds, thus ensuring reasonable space for laying hens for lying down, standing up, flapping wings, turning around and access to feed and water.

9. Maintenance records of space allowance:

i) The farm owner or the operator shall ensure that the maximum housing density is not exceeded and maintain records of the total floor area available to the hens; the space allowances; and maximum number of birds kept within the house.

ii) The farm owner or the operator shall maintain the record of available number of birds, the daily mortality and number culled.

iii) These records shall be made available for inspection by the prescribed authority.

10. Prohibition with regard to feed:

i) The feeding of hens with remains of dead chicks shall be prohibited.

ii) The use of growth promoters shall be prohibited.

iii) Antibiotics may be administered for therapeutic purposes (disease treatment) and only under supervision of a veterinarian.

iv) Withdrawal of feed to induce a molt shall be prohibited.

11. **Veterinary Care**. -The farm owner or farm operator shall deploy adequate manpower including registered veterinarian to provide adequate management and veterinary care during housing and in emergency medical care. The emergency contact details of the veterinarian should be displayed at a conspicuous place.

12. **Euthanasia of male chicks**.- The hatcheries shall use any of the procedure for euthanasia for male chicks as prescribed in the OIE guidelines.

13. **Disposal of spent hens**.- The farm shall sell the spent hens preferably to the licensed slaughter houses or to a registered trader and transport and slaughter of spent hens shall be in accordance with the applicable rules.

14. **Cancellation of Registration**. - If any poultry farm is not maintained in the manner required under these Rules, the registering authority may, after serving a show cause notice in writing, and giving an

opportunity to the person to reply on such show cause notice within a period of thirty days, cancel the certificate of registration.

15. **Revocation of Registration**.- If the farm complies with the deficiencies identified during the inspection within a specific time frame, the registering authority shall consider revoking the registration.

16. **Appeal**. - An appeal shall lie from any order refusing or cancelling the registration of any farms under these Rules to such officer or authority as the State Government may specify on this behalf.

17. **Penalties. -**If any person owning or having charge of farms contravenes the Rules, he shall be punishable with fine as prescribed under Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960. When the contravention is by an entity, the person in charge shall be deemed to be guilty of the offence and shall be punishable accordingly.

18. **Enforcement time. –**

(i) State governments shall notify the administrative provisions necessary to comply with these rules not later than 31st December 2019. States shall forthwith inform the same to the concerned administrative ministry.

(ii) Existing farms will change to new animal welfare guidelines not later than Jan. 1, 2025.

(iii) These rules shall come into force on 1st Jan 2020 after the publication in the Official gazette.

[F. No. R-99014/13/2019-Anlm-Dadf]

O. P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.04.29 19:30:10 +05'30'